

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 109/2020 अपील सू.प्र.

## उनवान

श्री गोपीराम अग्रवाल निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.  
आर0टी0आई0 रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

## निर्णय

दिनांक : 21.12.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 165046 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 14.09.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा को प्रेषित किया किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुआ।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/863 दिनांक 17.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी के द्वारा जिस आवेदन-पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपील की गई है वह आवेदन पत्र कार्यालय हाजा के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में प्राप्त होना ही नहीं पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा जिस आवेदन-पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपील की गई है वह आवेदन पत्र कार्यालय हाजा के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में प्राप्त होना नहीं पाये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
भीलवाड़ा